

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प .....

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री नेहुरीजा  
श्री नेहुरीजा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार शैलमयरा / नायब  
तहसीलदार शैलमयरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नेहुरीजा तहसील शैलमयरा व  
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 77 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>नेहुरीजा</u>	<u>77</u>	<u>SBBJ शाखा</u> <u>राजपुरा- 4रीखा</u>	<u>SBI शाखा</u> <u>राजपुरा- 4रीखा</u>

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी शैलमयरा सहायक कलक्टर, .....

दिनांक : 3 OCT 2025

क्रमांक- 181  
प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अनल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. शिक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....